

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-46 / 15संस्थित दिनांक-02.02.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. सुनील पुत्र मिठू यादव उम्र 28 साल
2. जीतू पुत्र अनारसिंह यादव उम्र 23 साल
निवासीगण ग्राम सलमपुरा थाना मौ

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 14.03.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर आबकारी अधिनियम (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 34-1 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.08.114 को 19:30 बजे बेहड रोड शोरा मोड की पुलिया के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के 150 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को रखकर परिवहन किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04.08.14 को प्र0आर0 शेषदेवराम भगत थाना मौ में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें पेटरोलिंग गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति वेहट तरफ से मोटरसाईकिल पर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु बेहट रोड शोरा मोड की पुलिया के पास पहुंचे तो दो व्यक्ति बेहट तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखे। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिन्हें फोर्स की मदद से पकड़ा। मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-07 एम0पी0-3572 पर बीच में रखे तीन पेटी गत्ते के चैक किए तो उनमें देशी मदिरा शराब के 150 क्वार्टर रखे मिले। अभियुक्तगण से नाम पता पूछा, शराब रखने की अनुज्ञप्ति चाहे जाने पर अनुज्ञप्ति न होना बताया। अभियुक्तगण से उक्त तीन पेटी शराब के क्वार्टर मय मोटरसाईकिल जब्तकर जब्ती व गिर0 पत्रक बनाए गए। तत्पश्चात् थाने आकर अप0क्र0 274/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान जब्तशुदा शराब की जांच आबकारी विभाग से कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.08.14 को 19:30 बजे बेहट रोड सोरा मोड की पुलिया के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के 150 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को रखकर परिवहन किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुल्तानसिंह अ0सा0 1, शेषदेवराम भगत अ0सा0 2, सुदीप तोमर अ0सा0 3, प्रदीप पचौरी अ0सा0 04 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता शेषदेव भगत अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 04.08.14 को वे रोड पेटरोलिंग पर गए थे। उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेहट रोड तरफ से एक मोटरसाईकिल पर अवैध शराब लाई जा रही है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु बेहट रोड सोरा मोड की पुलिया के पास पहुंचे जहां बेहट की ओर से दो व्यक्ति मोटरसाईकिल से आते दिखे जो उन्हें देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें फोर्स की मदद से रोका तथा पकड़ा। सुल्तानसिंह व प्रदीप पचौरी के समक्ष मोटरसाईकिल एम0पी0-07 एम0पी0-3572 के बीच में तीन गल्ले की पेटियां रखी पाई गयी, जिनमें चैक करने पर प्लेन देशी मदिरा 150 क्वार्टर मिले। पूछे जाने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम जीतू यादव तथा दूसरे ने सुनील यादव बताया। जीतू मोटरसाईकिल चला रहा था। अभियुक्तगण से शराब का लायसेंस पूछे जाने पर उन्होंने लायसेंस न होना बताया। तत्पश्चात् उक्त शराब व मोटरसाईकिल जब्तकर अभियुक्तगण को गिरा किए जाने का कथन करते हैं। जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिरा पत्रक प्र0पी0 2 व 3 बनाए जाने उन पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। थाना वापसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 स्वयं उनके द्वारा लिखे जाने, उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। रोजनामचा सान्हा प्रति प्र0पी0 5 के रूप में प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्ती कार्यवाही के साक्षी सुल्तान अ0सा0 1 व प्रदीप अ0सा0 4 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी तत्समय थाना मौ में पदस्थ होने का कथन करते हुए शेषदेव भगत के साथ दि0 04.08.14 को अभियुक्तगण से मोटरसाईकिल मय तीन पेट्टी देशी मदिरा प्लेन शराब जब्त किए जाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। साक्षीगण प्र0पी0 1 लगायत 3 पर क्रमशः ए से ए व सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना स्थल सार्वजनिक मार्ग बताया है फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया है इस कारण से अभियोजन का मामला संदिग्ध है। दण्डिक विधि के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है

कि किसी साक्षी के पुलिस साक्षी होने से उसके साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को अन्य साक्षियों की साक्ष्य की भांति ही विश्लेषण एवं अभिपुष्टि के आधार पर विश्वास किया जा सकता है। घटना का समय शाम 7:30 बजे बेहट रोड सौरा मोड का बताया गया है। शेषदेव भगत अ0सा0 2 कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि रात 8 बजे घटनास्थल सुनसान था, फोर्स के लोगो के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि सौरा मोड की पुलिया तक पेटरोलिंग करने जाते हैं उसके बाद ग्वालियर क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ऐसी दशा में रात के समय सड़क मार्ग पर किसी जनता के व्यक्ति के न मिलने को संदिग्ध रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अब इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या जब्तीकर्ता एवं साक्षीगण विश्वसनीय कथन कर रहे हैं।

8. शेषदेव अ0सा0 2 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे मुखबिर की सूचना पर जब्ती स्थल पर गए थे। प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि उक्त सूचना बेहट रोड मण्डी के पास मिली थी, जब्ती स्थल पर सरकारी वाहन मैक्स से जाने का कथन प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में करते हैं। सुल्तानसिंह अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि वे लोग थाने की गाडी से ही घटनास्थल पर गए थे। प्रदीप पचौरी भी प्रतिपरीक्षण में उक्त शासकीय वाहन से ही पेटरोलिंग के लिए जाने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताते हैं कि उक्त सूचना मण्डी गेट बेहट रोड पर मिली थी। इस प्रकार से तीनों ही साक्षीगण घटनास्थल पर शासकीय वाहन मैक्स से पहुंचने और सूचना बेहट रोड पर मण्डी के पास मिलने की पुष्टि करते हैं। शेषदेव अ0सा0 2 रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 5 के रूप में प्रमाणित करते हैं। उक्त रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रकरण में प्रमाणित की गयी है। सुल्तान अ0सा0 1 रोजनामचा में रवानगी डाले जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से सारतः साक्षीगण ने परस्पर कथनों की संपुष्टि की है।

9. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि साक्षियों द्वारा कथित घटना के संबंध में अभियुक्तगण के तत्समय कौनसे कपड़े पहने थे, यह बताने में अस्मर्थ रहे हैं इस कारण से अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि साक्षियों के कथन अभिकथित घटना से डेढ़ दो साल बाद लिए गए हैं, ऐसे में किसी भी व्यक्ति से फोटोजनिक स्मृति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस कारण से उक्त तर्क के आधार पर मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। प्रकरण में अभियुक्तगण से मोटरसाईकिल सहित शराब के क्वार्टर जब्त होना बताए गए हैं जिसके संबंध में अभियुक्तगण का यह बचाव है कि पुलिस ने अभियुक्तगण के पास वाहन के कागजात होने पर भी अवैध बसूली के लिए मांग की और मना करने पर झूठे कैस में फंसा दिया। इस प्रकार से स्वयं अभियुक्तगण की पुलिस के पास उपस्थिति के संबंध में तथ्य अभिलेख पर है। जहां तक अवैध वसूली का प्रश्न है तो अवैध वसूली के संबंध में कोई भी शिकायत अभियुक्तगण द्वारा

किसी भी सक्षम प्राधिकारी को की गयी हो, इस संबंध में अभिलेख पर तथ्य मौजूद नहीं हैं। अभियुक्त गण पर जमानती अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें दिनांक 04.08.14 को ही अभियुक्तगण को मुचलके पर मुक्त कर दिए जाने का उल्लेख है ऐसी दशा में यदि अभियुक्तगण पर असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया होता तो उन्हें जमानत पर तुरंत मुक्त किए जाने की संभावना क्षीण हो जाती है। ऐसी दशा में स्वयं अभियुक्तगण का सुझाव अभियुक्तगण की अपराध से संलिप्तता सुदृढ़ करता है।

10. प्रकरण में शेषदेव अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने अभियुक्तगण से तीन पेटी शराब के 150 क्वार्टर जब्त किए थे, कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि प्रत्येक पेटी में 50 क्वार्टर थे जिन पर सील लगी थी जो लेबित लगा था उस पर देशी मदिरा प्लेन लिखा था। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्होंने जब्तशुदा शराब की जांच गोहद आबकारी कार्यालय से कराई थी। कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि परीक्षण 4 क्वार्टर भेजे थे जिनकी जांच हुई थी जो उन्होंने ही भेजे थे। सुदीप तोमर अ0सा0 3 आबकारी निरीक्षक है, जो दिनांक 16.08.14 को थाना मौ के आरक्षक आशाराम द्वारा अप0क0 274/14 में 4 क्वार्टर जांच हेतु प्रस्तुत करने पर उनके ढक्कन पर एम0पी0 एक्सार्ज लेबिल देशी मदिरा प्लेन अंकित होने की पुष्टि करते हैं। उक्त शराब का भौतिक रूप से परीक्षण करने पर दृव्य रंगहीन, सूघने व चखने पर एल्कोहलिक था, नीले लिटमस पेपर पर डालने पर उसका रंग नहीं बदला था, यांत्रिक रूप से तापमान 84 डिग्री फेरनहाईट, सूचकांक हाइड्रोमीटर 80.2 व तेजी 50.1 यू0पी0 थी। उनके मतानुसार उक्त दृव्य देशी मदिरा प्लेन था जिसे परीक्षण के उपरांत अपने हस्ताक्षर की चिट लगाकर सील्ड किया था। परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 6 बताकर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में जब्तशुदा शराब के सैम्पल देशी मदिरा के पाए जाने की पुष्टि होती है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 04.08.14 को 19:30 बजे बेहड रोड शोरा मोड की पुलिया के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर अभियुक्तगण ने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के 150 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को रखकर परिवहन किया। अभियुक्तगण की ओर से उक्त शराब के संबंध में कोई भी अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं की है ऐसी दशा में उनके द्वारा बिना अनुज्ञा के शराब का परिवहन प्रमाणित हो जाता है। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 34-1 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है।

12. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

13. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि

का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के नवयुवक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

14. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण की घटना के समय कमशः 25 व 20 वर्ष लेख की गयी है वर्तमान में भी अभियुक्तगण की आयु अत्यधिक नहीं है। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 34-1-क के अधीन 6-6 माह की अवधि के साधारण कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

15. अभियुक्तगण की अभिरक्षा कुछ नहीं।

16. प्रकरण में जब्त शुदा शराब 150 क्वार्टर अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन एवं अस्वास्थ्यकर होने से नष्ट की जावे। जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी0-07 एम0पी0-3572 सुपुर्दगी पर है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश